मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

आदेश

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 16–20/2016/2/34 :: राज्य शासन एतद् द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत नलजल योजनाओं एवं अन्य पेयजल कार्यों में लगने वाली सामग्री के मापदण्ड, ब्रॉण्ड/मेक तथा अन्य मापदण्डों के निर्धारण हेतु समसंख्यक आदेश दिनांक 07.01.2017 द्वारा प्रमुख अभियंयता की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 12.01.2017 में की गई अनुशंसाओं (छायाप्रति संलग्न) को निम्नांकित संशोधनों के साथ विभाग में लागू करता है :–

1. अनुशंसा के परिशिष्ट ''अ'' पर दी गई सारणी में पावर पंप के साथ DRY RUN से होने वाली खराबी के बचाव के लिये ''वाटर लेविल कन्ट्रोलर'' लगाया जावें, इस बावत् निविदा के BOQ में उक्तानुसार पृथक आयटम जोड़ा जावें।
2. अनुशंसा के परिशिष्ट ''ब'' के आयटम क्रमांक 23 में दर्शायी गई सारणी को निम्नानुसार संशोधन किया जावें :–

1	सामग्री का स्थल साइट पर प्रदाय (Providing/Procurment)	आयटम दर का 60 प्रतिशत
2	सामग्री को निर्धारित स्थल पर लगाना (Laying/ Jointing/Installation) :–	
	(A) पावर पंप स्थापना संबंधी कार्य :– पंप स्थापना एवं नियमित विद्युत संयोजन कार्य पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 20 प्रतिशत
	(B) पाईप लाईन कार्य जहाँ Road Cutting की स्थिति हो :– Laying/ Jointing तक का कार्य पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 20 प्रतिशत
	(C) पाईप लाईन कार्य जहाँ Road Cutting की स्थिति न हो :– Laying/ Jointing तक का कार्य पूर्ण करने पर	आयटम दर का 30 प्रतिशत
3	Testing & Commissioning :-	
	(A) पावर पंप स्थापना संबंधी कार्य :– Testing & Commissioning पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 20 प्रतिशत
	(B) पाईप लाईन कार्य जहाँ Road Cutting की स्थिति हो :– Testing & Commissioning एवं Road Restoration (Making good the same) का कार्य पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 20 प्रतिशत
	(C) पाईप लाईन कार्य जहाँ Road Cutting की स्थिति न हो :– Testing & Commissioning एवं पाईप लाईन ट्रैंच की Backfill का कार्य पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 10 प्रतिशत

3. तकनीकी समिति का कार्यवाही विवरण दिनांक 12.01.2017 (छायाप्रति संलग्न) की कंडिका 06 के अनुसार निविदाओं का आमंत्रण समूह बनाकर किया जाए, परंतु प्रत्येक विकासखण्ड के लिये एक समूह बनाया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

सहपत्रः–उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश शाक्यवार)
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग

पृष्ठा. क्र./ एफ 16–20/2016/2/34/367 भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, वि./यॉ. परिक्षेत्र भोपाल।
5. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ... मण्डल (समस्त)।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड .... (समस्त)।

25.1.2017
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

नलजल योजनाओं एवं अन्य पेयजल कार्यों में लगने वाली सामग्री के मापदण्ड, ब्रांड/ मेक तथा अन्य मापदण्डों के निर्धारण हेतु शासन द्वारा गठित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 12.01.17 का कार्यवाही विवरण

शासन के आदेश क्रमांक एफ 16–20/2016/2/34 दिनांक 7.1.2017 से गठित नलजल योजनाओं एवं अन्य पेयजल कार्यों में लगने वाली सामग्री के मापदण्ड, ब्रांड/ मेक तथा अन्य मादपदण्डों के निर्धारण हेतु गठित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 12.1.17 को आयेाजित हुई।

बैठक में हुई चर्चा अनुसार निम्न अनुशंसाएं शासन को भेजा जाना प्रस्तावित है:–

1. मुख्य महाप्रबंधक, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम में नलजल योजनाओं में लगने वाली समाग्री हेतु सामग्री के ब्रांड/मेक सूचीबद्ध किये गये हैं, जिसकी जानकारी सभी सदस्यों को उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी। समिति द्वारा ऐसी सामग्री यथा– जी.आई.पाईप, सी.पी.व्ही.सी. पाइप, एम. डी.पी.ई.पाइप, यू.पी.व्ही.सी.पाइप, क्लोरीनेशन यूनिट आदि जिनके मेक/ब्रांड जल निगम में सूचीबद्ध नहीं हैं, उनका निर्धारण विभाग के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया। जिस सामग्री का उपयोग विभाग द्वारा किया जाना है तथा जिसके मेक/ब्रांड जल निगम द्वारा सूचीबद्ध किये गये हैं उन्हें विभाग में भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। सूची परिशिष्ट–'अ' अनुसार है।

2. एच.डी.पी.ई.पाइप सी.पी.व्ही.सी.पाइप, एम.डी.पी.ई.पाइप एवं यू.पी.व्ही.सी.पाइप का "थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन" भारत सरकार की संस्था सीपेट (Central Institute of Plastic Engineering and Technology) तथा अन्य सामग्री का मेसर्स राइट्स एवं एस.जी. एस. से कराये जाने का निर्णय लिया गया। "थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन" ठेकेदार को सामग्री के स्थल पर प्रदाय के पूर्व कराना होगा जिस हेतु ठेकेदार को पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

3. विद्युत कनेक्शन से संबंधित कार्यों के मापदण्ड संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी के मापदण्ड के अनुसार ही किये जावेंगे।

4. समिति द्वारा योजना के कार्य समयावधि में पूर्ण करने हेतु ठेकेदार का कैशफ्लो मेंटेन रखने के लिये पाइप, पंप, ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल व कंडक्टर इत्यादि के आयटम के Price Breakup का समावेश नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आमंत्रित निविदा में करने का निर्णय लिया गया।

5. बंद नलजल योजनाओं को चालू करने हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदा हेतु शर्तों का निर्धारण समिति द्वारा किया गया जो कि परिशिष्ट–'ब' में संलग्न है।

6. समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि निविदाओं का आमंत्रण समूह बनाकर किया जाये, जिससे अनुबंधों की संख्या कम हो सके। इस बाबत् निर्णय लिया गया कि समूह का निर्माण इस प्रकार किया जावे कि एक समूह की लागत रूपये 1.00 करोड़ से कम न हो। यदि किसी विकासखण्ड के अंतर्गत नलजल योजनाओं की लागत रू. 1.00 करोड़ से कम हो तो एक से अधिक विकास खण्ड के समूह बनाये जायें परन्तु एक विकासखण्ड से कम कार्यों का समूह न बनाया जाये।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

12.1.2017 (राजेश शाक्यवार) उप सचिव एवं समिति सदस्य मप्र. शासन, लो.स्वा.यॉ.वि.	(व्ही.एस.सोलंकी) अधीक्षण यंत्री एवं समिति सदस्य सचिव कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यॉ.विभाग	12/1/17 (अशोक बघेल) मुख्य अभियंता एवं समिति सदस्य, लो.स्वा.यॉ.विभाग वि/यॉ. परिक्षेत्र भोपाल	(आर.एस.ठाकुर) मुख्य अभियंता एवं समिति सदस्य, लो.स्वा.यॉ.वि. परिक्षेत्र ग्वालियर
(एन.पी.मालवीय) मुख्य महाप्रबंधक एवं समिति सदस्य म.प्र. जल निगम मर्या.	12-1-17 (के.के.सोनगरिया) मुख्य अभियंता एवं समिति सदस्य, लो.स्वा.यॉ.वि. परिक्षेत्र इंदौर	12/1/17 (सी.एस. संकुले) मुख्य अभियंता एवं समिति सदस्य, लो.स्वा.यॉ.वि. परिक्षेत्र भोपाल	(जी.एस.डामोर) प्रमुख अभियंता एवं समिति अध्यक्ष, लो.स्वा.यॉ.विभाग

परिशिष्ठ–'अ'

List of Recommended Makes/Brands of major items of Piped Water Supply Schemes

The followoing manufacturers are recommended for manufacturing of the major items given below. Where more than one manufacturer is listed, the Contractor is free to choose between them. For addition items, the Contractor is free to submit proposals for other manufacturers from time to time and the same shall be effective after approval by the Employer.

The contractor may substitute alternative brand names for the major items given below provided that it demonstrates to the employer's satisfaction that substitution is inevitable in the interest of project and the alternative makes proposed by the Contractor are substantially equivalent or superior to the one recommended hereunder.

Note:- The manufacturers empalened in MPJNM at any later stage shall also be eligible besides listed below -

Item/Component	Recommended makes
Pump Motors	Kirloskar/Jyoti/Crompton Grieves/ABB/Alsthom?BHEL/Siemens/Bharat Bijlee
Power Transformers	ABB/Crompton Grieves/Emco/Siemens
DI Pipes & Specials	Electrosteel/Jindal/Tata/Electrotherm
HDPE Pipes & specials	Reliance/Duraline/ Jain Irrigation/ Godavari/Sangir
Sluice Valves/Scour Valves	Kirloskar/IVC/VAG/IVI/Fouress
Butterfly Valve	Kirloskar/IVC/VAG/IVI/Fouress
Non-return Valves	Kirloskar/IVC/VAG/IVI/Fouress
Kinetic Air Valve	Kirloskar/IVC/VAG/IVI/Fouress
Single Faced Sluice Gates	JASH/VAG/Kirloskar
Water Hammer control Devices	Sureseal or equivalent
Electromaganatic Flow Metter, Water Meter, Items For Instrumation / Automation	Endress+Hauser(India)/ITRON India/Nivo Controls
Woltman type Bulk water meters	Zenner/Itron/Elster/Minol
DI /CI Fitting & specials	Kiswok/Electrosteel/Kejriwal

12/1/17

(3)

परिशिष्ट–ब

बंद ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं को चालू करने तथा संचालन/संधारण हेतु निविदा की सामान्य शर्तें

—00—

1. नलजल योजना को चालू करने हेतु निविदा में प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन के साथ–साथ योजना के पुराने अवयवों को दुरूस्त करने की जबावदारी भी ठेकेदार की होगी।

2. नलजल प्रदाय योजनाएँ 2 वर्ष की अवधि के संचालन–संधारण हेतु ठेकेदार को उपलब्ध कराई जायेगी।

3. योजनाओं के संधारण हेतु अनुबंध की समयावधि 2 वर्ष की होगी, जो "ट्रायल रन" की अवधि की समाप्ति के दिनांक से प्रारंभ मानी जायेगी, ठेकेदार को अनुबंध संपादन के दिनांक से 15 कार्य दिवसों में योजनाओं के समस्त स्थापित अवयवों के भौतिक सत्यापन उपरान्त योजनाओं को अपने अधिपत्य में लेना होगा। अनुबंध संपादन के 15 कार्य दिवसों में सत्यापन न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि विभाग द्वारा उल्लेखित तथ्य ठेकेदार को मान्य/स्वीकार्य है, उसके उपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।

4. योजना में क्रियान्वित समस्त अवयवों यथा स्त्रोत नलकूप, पम्प हाऊस, मोटर पम्प, विद्युत कनेक्शन आदि की स्थिति, पाइप लाइन का प्रकार, व्यास एवं लम्बाई, उच्च स्तरीय टंकी/सम्प का भौतिक सत्यापन ठेकेदार को विभाग द्वारा कराया जायेगा। अनुबंध समाप्त होने के उपरांत संबंधित ठेकेदार द्वारा समस्त अवयव कार्यरत/उपयोगी हालत में संबंधित ग्राम पंचायत/ पेयजल उपसमिति को कार्यपालन यंत्री के निर्देशानुसार हस्तांतरित किये जायेंगे।

5. ठेकेदार द्वारा नलजल प्रदाय योजना को अपने अधिपत्य में लेने की दिनांक के पूर्व की समस्त देनदारियॉं चुकता करने का दायित्व विभाग का होगा। अधिपत्य लेने के दिनांक से उदभूत होने वाली समस्त देनदारियों (विद्युत देयक की राशि को छोड़कर) को चुकता करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

6. असफल नलकूप स्त्रोत के स्थान पर विभाग द्वारा विकसित नवीन स्त्रोत से पाईप लाईन जोड़ना, विद्युत कनेक्शन का नवीन स्त्रोत पर स्थानांतरण, कटी हुई विद्युत लाईन को जुड़वाने, क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का सुधार करने एवं सम्प/उच्च स्तरीय टंकी की मरम्मत का दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।

12/1/17 12/1/17

7. यदि किसी चालू योजना का स्त्रोत असफल हो जाता है तो तात्कलिक रूप से योजना को चालू रखने के लिये निजी नलकूप/कूप उपलब्ध है तो उसे अधिग्रहित कर योजना के स्त्रोत के रूप में उपयोग करने हेतु विभाग नियमानुसार मदद करेगा, परन्तु नलकूप/कूप पर अस्थायी विद्युत एवं पाईप लाईन कनेक्शन लेने एवं उसे जल वितरण प्रणाली/टंकी से जोड़ने का दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा। नई स्थायी/अस्थायी विद्युत एवं पाईप लाईन डालने हेतु ठेकेदार को तत्समय (लाईन डालने या निकालने के समय) विभाग में प्रचलित दर सूची पर भुगतान किया जायेगी, इसी प्रकार अधिग्रहित किये गये स्त्रोत पर स्थायी/अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु संबंधित विद्युत कम्पनी को किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति की जायेगी। यदि किन्हीं कारणों से नलकूप/कूप का अधिग्रहण नहीं हो पाता है तो इस संबंध में ठेकेदार द्वारा किया गया काई भी दावा मान्य नहीं होगा। ग्राम/बसाहट में अन्य शासकीय नलकूप/कूप उपलब्ध होने पर विभाग से अनुमति प्राप्त कर ठेकेदार द्वारा उस स्त्रोत का उपयोग जल प्रदाय हेतु किया जा सकेगा।

8. अधिग्रहित किये गये/किये जाने वाले नलकूप/कूप के जल की गुणवत्ता का परीक्षण कराकर उसकी पेयजल के रूप में उपयुक्तता का आंकलन ठेकेदार को करना होगा। जल परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला में निशुल्क किया जा सकेगा। यदि खुले कुएँ का स्त्रोत के रूप में उपयोग किया जाना है तो उसका प्रदूषण रोकने की पक्की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

9. यदि संचालन–संधारण अवधि में योजना का स्त्रोत असफल हो जाता है तो विभाग द्वारा नया स्त्रोत विकसित कर ठेकेदार को उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जायेगा, परन्तु यदि विभाग द्वारा स्त्रोत उपलब्ध कराना किन्हीं कारणों से संभव नहीं हो पाता है तो विभाग द्वारा निर्देशित किये जाने पर ठेकेदार द्वारा असफल स्त्रोत के एवज में नये स्त्रोत का विकास किया जायेगा एवं उसके लिये ठेकेदार को नलकूप खनन/सेनटरी डगवैल के निर्माण पर हुए व्यय का भुगतान किया जायेगा, परन्तु यह भुगतान विभाग में संबंधित विकास खण्ड में (विकास खण्ड में विभाग में समान कार्य न होने पर जिले में) तत्समय प्रचलित दरों पर आंकी गई लागत से अधिक नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि सक्षम स्त्रोत विकसित करने हेतु 3 नलकूपों का खनन ठेकेदार को करना पड़ता है जिसमें से 2 नलकूप असफल है तो ठेकेदार को एकमात्र सफल एवं सक्षम स्त्रोत का भुगतान ही किया जायेगा, जो पूर्ववत सीमा तक की देय होगा।

10. योजना के अवयवों में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा यथा भूकम्प एवं बाढ़ को छोड़कर अन्य कारणों से होने वाली टूट–फूट, चोरी आदि से हुई क्षति के सुधार के लिये संबंधित ठेकेदार ही उत्तरदायी होगा। सुधार कार्य हेतु पृथक से कोई धनराशि विभाग द्वारा नहीं दी जायेगी। योजना के

12/1/17

संचालन–संधारण हेतु लगाये गये मानव संसाधनों में श्रम कानून का पूर्णतः पालन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्ण रूपेण ठेकेदार की ही होगी।

11. नलजल प्रदाय योजना के सुधार हेतु लगने वाले समस्त औजार एवं संयंत्रों की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर की जायेगी, इस हेतु विभाग/पंचायत/पेयजल समिति द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान पृथक से नहीं किया जायेगा।

12. नलजल प्रदाय योजना के संचालन–संधारण में कर्मचारियों के लिये समस्त सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर की जायेगी, इस हेतु विभाग/पंचायत/पेयजल समिति द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान पृथक से नहीं किया जायेगा।

13. निविदा में विद्युत देयकों को छोड़कर, योजना के समस्त प्रकार के संचालन–संधारण यथा श्रमिक, सामाग्री, समय–समय पर किये जाने वाले नियमित संधारण कार्यो पर होने वाले व्यय सम्मिलित है। जल प्रदाय की मात्रा का सत्यापन ग्राम पंचायत के सचिव एवं विभाग के उपयंत्री द्वारा योजना में ठेकेदार द्वारा स्थापित मीटर से किया जायेगा।

14. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना से प्रदाय किया जाने वाला जल आई.एस. 10500:2012 (यथा संशोधित) में पेयजल हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हो, आवश्यक होने पर भौतिक एवं रासायनिक अवयवों का शोधन करने हेतु ठेकेदार द्वारा विभाग द्वारा अनुमोदित तकनीकी पर आधारित निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप जल शोधन संयंत्रो की स्थापना भी की जायेगी, जिसके लिये विभाग द्वारा अधिकतम रूपये 5.00 लाख या प्लांट की वास्तविक लागत जो भी कम हो का पृथक से भुगतान किया जायेगा परंतु संयंत्र स्थापना के उपरांत संयंत्र के संचालन–संधारण पर आने वाले विद्युत, रसायन, स्पेयर पार्टस एवं श्रमिक व्यय ठेकेदार को स्वयं वहन करना होंगे। जल शोधन संयंत्र हेतु किया जाने वाला भुगतान प्लांट चालन की गारंटी अवधि समाप्त होने के उपरांत किया जायेगा।

15. ठेकेदार को योजना के स्त्रोत के जल के नमूने स्वयं के व्यय पर परीक्षण हेतु कम से कम 15 दिवस में एक बार विभाग की जिला/उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रेषित करने होंगे, नमूनों का परीक्षण विभाग द्वारा निःशुल्क किया जायेगा। जल परीक्षण हेतु भेजे जाने वाले नमूनों की आवृत्ति विभिन्न मौसमों में विभाग के निर्देशानुसार कम या अधिक हो सकती है। परन्तु आवृत्ति अधिक होने पर भी ठेकेदार को अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

16. ग्रामीण जनों द्वारा योजना में संचालन–संधारण की अवधि में यदि किसी नवीन घरेलू नल कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर ठेकेदार द्वारा आवेदक के परिसर में कनेक्शन किया जायेगा, कनेक्शन हेतु सामग्री उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, ठेकेदार को प्रति कनेक्शन रूपये 400/– कनेक्शन करने के मेहनताने के रूप में देय होगा।

17. यदि विभाग द्वारा नलजल योजनाओं के उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है तो ठेकेदार द्वारा मीटरों की स्थापना की जायेगी, इस हेतु रूपये 100 (रूपये सौ) प्रति मीटर श्रमिक व्यय के रूप में देय होगा।

18. योजना से जल प्रदाय की मात्रा मापने हेतु सूचीबद्ध प्रदायकर्ता/फर्म के आई.एस.आई. द्वारा प्रमाणित निर्माता कंपनी के "बल्क मीटर" की स्थापना ठेकेदार द्वारा की जायेगी, जिसे सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा। मीटर की शुद्धता (Accuracy) की जाँच संबंधित ठेकेदार द्वारा विभाग द्वारा जब भी चाहा जायेगा अधिकृत संस्था से करायी जायेगी। ठेकेदार द्वारा अधिकृत संस्था से प्रमाणित सील्ड मीटर रखे जायेंगे, किसी मीटर के खराब होने की स्थिति में उसे प्रमाणित सील्ड मीटर से तत्काल बदला जायेगा। मीटर खराब होने की दशा में संबंधित माह के शेष दिनों के दौरान हुये प्रतिदिन के औसत जल प्रदाय के 80 प्रतिशत मात्रा के समतुल्य जल प्रदाय मानते हुये भुगतान किया जायेगा।

19. ठेकेदार द्वारा जल प्रदाय के संबंध में एक पंजी संधारित की जायेगी, जिसमें बल्क मीटर की प्रांरभिक माप, अंतिम माप एवं प्रतिदिन किये गये जल प्रदाय की मात्रा अंकित की जायेगी, इस माप का सत्यापन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रतिदिन एवं विभागीय उपयंत्री द्वारा कम से कम 15 दिवस में एक बार किया जायेगा। भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करते समय उक्त पंजी की छायाप्रति ठेकेदार द्वारा संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। सत्यापित मीटर रीडिंग की छायाप्रति संलग्न न होने की स्थिति में भुगतान नहीं किया जायेगा।

20. स्त्रोत असफल होने को छोड़कर यदि किसी अन्य कारण से नलजल योजना से जल प्रदाय अवरूद्ध होता है, तो ठेकेदार द्वारा इसे अधिकतम 24 घंटे की समयावधि में सुधरवा कर चालू कराया जायेगा, योजना के बंद होने की समयावधि में प्रभावित क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा विभाग द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर टैंकर रख कर कम से कम 25 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय सुनिश्चित किया जायेगा, इसके उपरांत योजना के बंद रहने की स्थिति में टैंकर से जल प्रदाय किये जाने के बावजूद प्रतिदिन रूपये 100/– प्रतिदिन अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा, यदि परिवहन के माध्यम से 25 लीटर प्रति

व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो जल प्रदाय न होने से प्रभावित प्रति 100 परिवार के लिये रूपये 1000/— प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। यदि 3 दिवस में सुधार कार्य नहीं किया जाता तो विभाग द्वारा योजना का सुधार कार्य कराकर जल प्रदाय चालू कराया जायेगा एवं सुधार पर होने वाले संपूर्ण व्यय जिसमें विभागीय कर्मचारियों का उस दिवस का वेतन भी सम्मिलित है की वसूली मय उक्त राशि पर 20 प्रतिशत अर्थदण्ड के ठेकेदार के देयकों से की जायेगी जो आरोपित अर्थदण्ड के अतिरिक्त होगी।

21. ठेकेदार द्वारा योजना के विभिन्न अवयवों यथा पंप हाउस, उच्च स्तरीय टंकी, जल शोधन संयंत्र, पाईप लाईन एवं वाल्व्स आदि का सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार संधारण किया जायेगा निर्देशानुसार संधारण न किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा स्वयं संधारण किया जायेगा एवं उस पर हुये व्यय की राशि तथा उस पर 20 प्रतिशत की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

22. ठेकेदार द्वारा पेयजल को छोड़कर अन्य प्रयोजन हेतु विभाग की अनुमति/निर्देशों के बिना नलजल प्रदाय योजना से जल प्रदाय नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रयोजन हेतु जल प्रदाय किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी एवं इस संबंध में ठेकेदार का किसी भी प्रकार का दावा एवं स्पष्टीकरण मान्य नहीं होगा।

23. निविदा की बी.ओ.क्यू. (Bill of Quantities) के ऐसे आयटम जिसमें "Providing laying /jointing/ installation and testing/ commissioning" का कार्य सम्मिलित है, उन आयटमों का भुगतान निम्नानुसार ब्रेकअप में किया जायेगा :—

1.	सामग्री का स्थल साइट पर प्रदाय (Providing/ Procurment)	आयटम दर का 60 प्रतिशत
2.	सामग्री को निर्धारित स्थल पर लगाना (Laying / jointing/ Installation)	आयटम दर का 30 प्रतिशत
3.	Testing & Commissioning	आयटम दर का 10 प्रतिशत

- उपरोक्त ब्रेकअप पाईप, पंप, स्पेशल्स, ट्रांसफार्मर electric conductor and pole, के प्रदाय संबंधी आयटमों पर ही लागू होगा। अन्य आयटमों के भुगतान पर उक्त ब्रेकअप लागू नहीं होगा तथा उनका भुगतान बी.ओ. क्यू. की दर के अनुरूप संबंधित आयटम के पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने पर ही होगा।

12/1/17

* उपरोक्त प्रावधान ठेकेदार को Cash Flow Maintain करने के उददेश्य से किया गया है। अतः ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह सामग्री का निर्धारित स्थल पर laying/ jointing/ installation भी प्रदाय के साथ–साथ करें। यदि ठेकेदार द्वारा मात्र सामग्री का प्रदाय ही किया जाता है और निर्धारित स्थल पर उसका laying/ testing नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त ब्रेकअप से भुगतान निविदा में प्रदाय संबंधित सामग्री की 50 प्रतिशत मात्रा तक ही किया जावेगा तथा शेष 50 प्रतिशत मात्रा हेतु आयटम में सम्मिलित समस्त कार्य के पूर्ण होने पर ही भुगतान की पात्रता ठेकेदार को होगी।

12/1/17

12/1/17